



Neutral Citation No. - 2026:AHC:61655

ए.एफ.आर.

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या - 12152/2025

चेतन कुमारयाची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्यप्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता: शिवम शुक्ला, सुशील कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 89

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X,

1. याची के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-विपक्षीगण को ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आर.के. सिंह उपस्थित हैं।
2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा याची के विरुद्ध थाना- महोबा, जिला- महोबा में धारा 138- पराक्रम्य विलेख अधिनियम के अंतर्गत एक परिवाद मामला संख्या 1049/2022 (अरिभर्दन सिंह बनाम चेतन कुमार) संस्थित किया गया था। उक्त परिवाद मामले में कंपनी को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था। उक्त गंभीर अवैधता को याची द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत करके उठाया गया था, लेकिन विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.08.2023 के माध्यम से याची का उन्मोचन आवेदन खारिज कर दिया। तत्पश्चात, उसने संबंधित न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 84/2023 (चेतन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) दायर किया। उक्त पुनरीक्षण याचिका को भी आक्षेपित आदेश दिनांक 24.09.2024 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। यह तर्क दिया गया कि दोनों न्यायालयों ने याची द्वारा दायर उन्मोचन आवेदन और आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज करने में प्रत्यक्ष अवैधता कारित की है।
3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता नहीं है।
4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
5. यह सर्वमान्य विधिक सिद्धांत है कि समन मामले में अभियुक्त द्वारा कोई उन्मोचन आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है। वह केवल उन्हीं मामलों में उन्मोचन आवेदन दायर करने का हकदार है जहाँ मजिस्ट्रेट अपने विवेकानुसार समन मामले को वारंट मामले में परिवर्तित कर देता है।
6. अतः, यह याचिका गुण-दोष रहित है और तदनुसार खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X,)

25 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एस.के.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"